

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

मुत0प्रार्थना संख्या 15/18

सन् 2018

जीसीएमएस संख्या 2018/00018

बउनवानी:-भूमि विकास बैंक शाखा बौली जरिये सचिव भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर

बनाम

1. रामसहाय पुत्र धूल्या मीना निवासी पीपलवाडा,तहसील बौली जिला स0मा0

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राज0 सह सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व 99 के तहत ऋणी सदस्य की बैंक के रहन सम्पत्ति को बैंक के पक्ष मे अन्तरित करने बाबत)

उपस्थित :-श्री अमित बंसल

वकील प्रार्थी

—: निर्णय :-

दिनांक 06.01.2022

प्रार्थना पत्र सचिव भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर के जरिये भूमि विकास बैंक शाखा बौली के खाता संख्या 74 पर अप्रार्थी द्वारा बैंक का बकाया अवधिपार ऋण चुकता नही करने तथा अप्रार्थी की सम्पत्ति/कृषि भूमि जो कि बैंक के रहन है, को बैंक द्वारा निलामी कार्यवाही मे बेची नही जा सकने के कारण अप्रार्थी की सम्पत्ति/कृषि भूमि को बैंक के नाम अन्तरण करने हेतु राज0 सह. सोसायटी अधिनियम,2001 की धारा 103 व 99 के तहत आदेश जारी करने बाबत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को बैंक की बकाया राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी कर नोटिस प्राप्ति के 30 दिवस मे जमा कराने व नियत दिनांक को न्यायालय मे उपस्थित होने बाबत सूचित किया गया किन्तु अप्रार्थीगण नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नही हुऐ ओर ना ही बैंक की बकाया राशि जमा करवायी गयी। तत्पश्चात बहस वकील भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर सुनी गयी।

वकील भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर द्वारा कथन किया कि अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम,2001 की धारा 100 के अधीन जारी प्रमाण पत्र के अनुसार असल 135734/-रु ब्याज 113221/-रु द0ब्याज 11533/-रु कुल राशि 260488/-रु एवं तत्पश्चात दिनांक 30.6.2016 तक अप्रार्थी के खाते में कुल बकाया असल 312948/-रु जिसमे से अवधि पार बकाया असल 312948/-रु ब्याज 215735/-रु द0 ब्याज 32787/-रु एवं वसूली व्यय 16844/-रु तथा बीमा राशि 0/-रु सहित कुल राशि 578314/- रु की अदायगी अप्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक नही की गयी है उक्त डिग्री की राशि वसूलने हेतु जारी निष्पादन आदेश की क्रियान्विति करने के लिए विक्रय अधिकारी द्वारा अप्रार्थी की बैंक मे बन्धकित सम्पत्ति (ग्राम पीपलवाडा हल्का पटवारी पीपलवाडा तहसील बौली की आराजी ख0न0 1920 रकबा 0.13.00 है0,ख0न0 1921 रकबा 0.0500है0, ख0न0 1922 रकबा 0.1400है0, ख0न0 1923 रकबा 0.7100है0, ख0न0 1924 रकबा 0.0100है0, ख0न0 1925 रकबा 0.9300है0, ख0न0 1944 रकबा 0.8500है0, ख0न0 1945 रकबा 0.0100है0 ख0न0 1946 रकबा 0.9600 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 4.7900 हिस्सा 1/2 भाग को विक्रय करने की कार्यवाही संबंधित बैंक द्वारा 3 बार कमशः दिनांक 30.3.2016, 5.4.2016, 30.6.2016 को जरिये निलामी की गयी किन्तु निलामी कार्यवाही के दौरान क्रेताओ के अभाव में सम्पत्ति बेची नही जा सकी है। विक्रय अधिकारी की सिफारिश एवं उप रजिस्ट्रार समितिया सवाईमाधोपुर द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत

.....(1).....

जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर


(प्रार्थना पत्र संख्य 15/2018 उनवानी सचिव भूमि विकास बैंक बनाम रामसहाय )

रहन की गयी भूमि या उसका भाग सोसायटी (बैंक) को अन्तरित करने हेतु बैंक के प्रशासक (उप जिला कलेक्टर) द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 15.6.2016 के निर्णय का उप रजिस्टार सहकारी समितियों सवाईमाधोपुर द्वारा अनुमोदन कर अप्रार्थी की बैंक के पक्ष में रहन भूमि जो नीलामी में बेची नहीं जा सकी है का बैंक के पक्ष में अन्तरण कराने की अभिशंषा की है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी की उक्त भूमि जो भूमि विकास बैंक शाखा बाँली के बन्धक है को उक्त बैंक के नाम अन्तरित करने बाबत वकील भूमि विकास बैंक लि० सवाईमाधोपुर ने निवेदन किया है।

वकील भूमि विकास बैंक लि० सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी द्वारा भूमि विकास बैंक शाखा बाँली की बकाया ऋण राशि रु 578314/-रु जमा नहीं करवायी गयी है तथा अप्रार्थी की बैंक में बन्धकित सम्पत्ति (ग्राम पीपलवाडा हल्का पटवारी पीपलवाडा तहसील बाँली की आराजी ख०न० 1920 रकबा 0.13.00 है०, ख०न० 1921 रकबा 0.0500 है०, ख०न० 1922 रकबा 0.1400 है०, ख०न० 1923 रकबा 0.7100 है०, ख०न० 1924 रकबा 0.0100 है०, ख०न० 1925 रकबा 0.9300 है०, ख०न० 1944 रकबा 0.8500 है०, ख०न० 1945 रकबा 0.0100 है० ख०न० 1946 रकबा 0.9600 है० कुल किता 9 कुल रकबा 4.7900 हिस्सा 1/2 भाग को जरिये नीलामी 3 बार विक्रय करने हेतु कार्यवाही की गयी किन्तु क्रेताओं के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची नहीं जा सकी है। इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को बैंक की उक्त राशि 30 दिवस में जमा कराने बाबत नोटिस जारी किया गया नोटिस की तामील विधिवत रूप से व्यक्तिगत करवायी जाने पर भी अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ ओर ना ही बकाया ऋण राशि बैंक में जमा नहीं करवाने बाबत कोई युक्तिसंगत कारण न्यायालय में पेश किया है। अतः सचिव भूमि विकास बैंक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्याय के प्ररिप्रेक्ष्य में सचिव भूमि विकास बैंक लि० सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार वर्णित सम्पत्ति को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत बैंक के रहन की गयी अप्रार्थीगण के हिस्से की उक्त कृषि भूमि को भूमि विकास बैंक शाखा बाँली के पक्ष में अन्तरित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
(राजेन्द्र किशन)  
जिलाकलेक्टर  
सवाई माधोपुर